भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/2/VC/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003

Dated: 08th March, 2018

To,

1. प्रमुख सचिव,
   जनजातीय विकास विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. जिला कलेक्टर,
   जिला छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से आयोग के दल के दिनांक 25–11–2017 से 28–011–2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले का दौरा।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 25–11–2017 से 28–11–2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनॉक 25 नवम्बर 2017 से 28 नवम्बर 2017 तक जिला छिन्दवाडा म.प्र.

प्रवास का प्रतिवेदन

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	**सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष,** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली		
2.	दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	**25/11/2017 से 28/11/2017**		
3.	दौरा किया गया स्थान	गॉव / शहर का नाम	:	पान्ढुर्ना, जुन्नारदेव, दमुआ
		जिला	:	छिन्दवाडा
		राज्य	:	मध्यप्रदेश
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**1)** श्री चौधरी चन्द्रभानसिंह विधायक छिन्दवाडा **2)** श्री अजय वर्मा, छिन्दवाडा **3)** श्री रमेश लोखण्डे, बुद्धिस्ट सोसायटी छिन्दवाडा **4)** श्री नितिन खंडेलवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि **5)** सर्वश्री राजेश, सुनील ठाकुर, पवन शेंडे, शैलेन्द्र नारनवरे, राहुल नायक, श्रीमती विजय सोमकुँवर, श्री सुखनन्दन, श्री वात्सल्य जी, **6)** श्री जे.के. जैन कलेक्टर छिन्दवाडा **7)** श्री राजेश शाही अनुविभागीय अधिकारी छिन्दवाडा **8)** श्री दादा चन्द्रकान्त धर्माधिकारी, वरिष्ठ नागरिक एवं जन प्रतिनिधि व समाज सेवी। **9)** श्री रामराव कवडेती पूर्व विधायक, पान्ढुर्ना। **10)** श्री मोरेश्वर मर्सकोले, जनजाति प्रतिनिधि। **11)** श्री श्याम धुर्वे, श्री आकाश सरसे, श्री भूषण हिवसे, **12)** श्री जतन उइके, विधायक पान्ढुर्ना, **13)** श्री बाबूलाल खंडाते पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत छिंदवाडा **14)** श्री राकेश परते, जनजाति प्रतिनिधि, **15)** श्री पी एल कुमरे जी जनजाति प्रतिनिधि, **16)** श्रीमती चंदा बाई, श्रीमती उमा सिरसाम, **17)** श्री बाबूराम इरपाची, श्री वासुदेव कुमरे जनजाति प्रति., **18)** श्री राजू रेवतकर, श्री खेमराज तीतरे, श्री लोचन खबसे, **19)** श्री रामेश्वर घोडे, श्री रवि बाबनकर, श्री अरूण भौंसले		

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		20) श्रीमती मीनाक्षी खुरसंगे, श्रीमती विमला छंगानी, श्रीमती चौकसे मेडम एवं अन्य महिला जन प्रतिनिधि, 21) श्री मयंक मोदी, श्री हितेश पोफली, श्री पयूष ठाकुर, मुकंद बाम्बल एवं अन्य 50 जन प्रतिनिधि, 22) कार्यक्रम स्थल पर करीब 5000 जनजाति महिला एवं पुरूष उपस्थित थे। सभी पान्ढुर्ना जिला छिन्दवाडा, 23) श्री कमलेश उइके, जिला पंचायत सदस्य, श्री सुरेश कश्यप, जिला पंचायत सदस्य, श्री हरिशंकर उइके पूर्व विधायक, श्री मोनू साहू, श्री योगेश साहू, श्री छोटू उइके, श्री राम डेहरिया, मोह. शकील, श्री रामकुमार मालवी, श्री रोहित मदान, श्री रूपेश मानेराव, श्री भूषण अरोरा, श्री राम कनौजिया, श्री दीनू साहू, 24) श्रीमती किरण खातरकर, श्रीमती गीता बरबे, श्रीमती शशि वाडिवा, श्रीमती सुशीला यादव,श्रीमती सुशीला कहार, श्रीमती सरिता डेहरिया,श्रीमती रजनी चौहान, 25) श्री राजकुमार मोहबे, श्री दिनेश गोहे, श्री कलीराम नर्रे, श्री भूरा नर्रे, श्री सुरेश दर्शमा, श्री सुनील, श्री अरूण, श्री मानकराम दर्शमा एवं अन्य 26) साथ ही 100 से अधिक जनजाति प्रतिनिधि एवं आम नागरिक एवं जनजाति व्यक्ति उपस्थित थे। 27) श्री दीपक यादव, थानेदार दमुआ जिला छिन्दवाडा
5.	दौरा के मुख्य बिन्दु – **(भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)**	
	दिनांक 25 नवम्बर, 2017 (शनिवार)	
	❖ एयरपोर्ट नागपुर आगमन एवं छिन्दवाड़ा के लिये सड़क मार्ग से प्रस्थान किया गया। छिन्दवाड़ा निवास स्थल पर जन प्रतिनिधियों एवं नागरिकों से भेंट कर उनके अभ्यावेदन प्राप्त किये गये।	
	दिनांक 26 नवम्बर, 2017 (रविवार)	
	1. स्थानीय सत्कार तिराहा पर भारत रत्न डॉ.बी.आर. अंबेडकर प्रतिमा पर बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इंडिया शाखा छिन्दवाडा के द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित किये गये कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा संविधान में विश्वास एवं उसके पालन की शपथ ली गई। 2. अपने उद्बोधन में मैंने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कहा कि भारत का संविधान सर्वोपरी है उसके उपर कोई कानून नहीं है। संविधान के मूल आदर्शों एवं प्रस्तावना के आधार पर सम्पूर्ण देश का संचालन देश की निर्वाचित सरकारें करती हैं। आज देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की रक्षा हो रही है जो डॉ अंबेडकर की देन है। तदुपरांत पान्ढुर्ना के लिये प्रस्थान।	

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.

(श्री बी.आर.अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल सत्कार चौकर पर संविधान दिवस के कार्यकम में संविधान की शपथ एवं सामूहिक प्रार्थना में सुश्री अनुसुईया उइके जी, उपाध्यक्ष)

4. पान्दुर्ना पहुँचने पर स्थानीय विश्राम भवन में उपस्थित जन प्रतिनिधियों से औपचारिक भेंट कर उनकी समस्या एवं आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। स्थानीय प्रमुख जन प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई के लिये ग्राम कामठीकला में उपयुक्त स्थल है। इस स्थान पर पान्दुर्ना नगर के लिये जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बॉध निर्माण का प्रस्ताव टेण्डर उपरांत अनुमोदन हेतु शासन को भेजा गया है। इसलिये उस स्थान पर जलाशय के निर्माण के लिये प्रशासन से टेण्डर अनुमोदन कराने का कष्ट करें।

5. विश्रामगृह में पत्रकारों से चर्चा की गई और उन्हें आयोग की गतिविधियों, कार्यप्रणाली इत्यादि की जानकारी आयोग में चल रहे और आयोग द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के माध्यम से प्रदान की गई। तदुपरांत कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान के लिये प्रस्थान कर आदिवासी महा–सम्मेलन में भाग लिया गया।

6. भगवान बिरसामुंडा जी के पूजन तथा चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उपस्थित जनसमूह द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया।

7. उद्‌बोधन की श्रृंखला में स्थानीय विधायक श्री जतन उइके, द्वारा संबोधित किया गया और अनुरोध किया कि मैं सभा को मार्गदर्शित करूँ ताकि जनजाति समाज जाग्रत होकर अपनी तरक्की कर सकें।

8. मेरे द्वारा अपने मार्गदर्शन में सबसे पहले जनजाति समाज के भगवान महान कॉतिकारी, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त बिरसामुंडा जी के जीवन चरित्र का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा जनजाति समाज और देश के लिये किये गये कार्यो से आम नागरिकों को अवगत कराया गया। साथ ही भारत रत्न अंबेडकर जी द्वारा देश के संविधान निर्माण में किये गये योगदान एवं जनजाति समाज के लिये किये गये प्रावधानों से भी आम नागरिकों, जनजाति समाज के व्यक्तियों को जागरूक करते हुए उक्त महान व्यक्तियों के सिद्धान्तों पर चलने का आह्‌वान किया गया।

9. साथ ही मैंने आयोग की कार्यप्रणाली, गतिविधियों, और इस समय चल रहे प्रकरणों तथा जिनका निराकरण आयोग द्वारा किया गया है उनके उदाहरणों के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया। जनजाति समाज के व्यक्तियों का आह्‌वान किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के उत्थान के लिये एक होकर कार्य करें तभी जनजाति समाज मुख्यधारा में आ सकता है। नशा जैसे घातक व्यसन को त्यागने की अपील की गई।

10. मैंने अपने मार्गदर्शन में जनजाति समाज को अवगत कराया कि सरकारें जनजाति समाज के बच्चों को पढने, शासकीय सेवाओं के लिये मुख्य परीक्षाओं में कोचिंग इत्यादि के लिये राशि उपलब्ध कराती हैं इसका लाभ कैसे मिलता है, आदिवासी महिला का उत्पीडन होने पर, आदिवासी की हत्या होने पर या किसी अन्य

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	प्रकार से पीडित प्रताडित होने पर भी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है उसका लाभ किस प्रकार मिलता है उससे अवगत कराया गया।
11.	(आदिवासी महासभा का कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान पांढुर्ना में उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मध्य सुश्री अनुसुईया उइके जी, उपाध्यक्ष)
12.	प्रमुख समस्याएँ जो प्राप्त हुई हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :—
	A. जनजातियों में जागरूकता के लिये आदिवासी चेतना मेला आयोजित किये जाने चाहिए।
	B. छात्रावासों में शैक्षणिक गुणवत्ता हो इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
	C. छात्रावासों में आवास सुविधा एवं सफाई हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
	D. बैंकों के माध्यम से जनजाति वर्ग को ऋण मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाय।
	E. आयोग के कार्यकलापों की जानकारी जनजाति समाज को नहीं है जबकि होनी चाहिए इसके लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
	F. बिरसामुंडा जी के जन्म—तारीख 15 नवम्बर को देश में शासकीय अवकाश होना चाहिए ताकि जनजाति समाज उनकी जयंती मना सके।
	G. आदिवासियों का इतिहास बहुत उज्ज्वल है इसे प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है।
	H. कार्यक्रम स्थल पर जनजाति बच्चों द्वारा अपनी कला एवं सँस्कृति की प्रस्तुति भी दी गई।
	(आदिवासी महासभा का कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान पांढुर्ना में उपस्थित बच्चों एवं प्रमुख अतिथियों के मध्य सुश्री अनुसुईया उइके जी, उपाध्यक्ष)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 (सोमवार)

13. छिन्दवाडा से निर्धारित समय पर प्रस्थान कर **जुन्नारदेव पहुँचने पर स्थानीय चर्च तिराहा** पर प्रमुख जनप्रतिनिधियों एवं छात्र छात्राओं द्वारा औपचारिक स्वागत किया एवं अपनी समस्या से अवगत कराते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

a. जुन्नारदेव महाविद्यालय आदिवासी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति छात्र छात्राएँ एवं अन्य विद्या ग्रहण करते हैं।

b. जुन्नारदेव महाविद्यालय में इस समय केवल कला एवं वाणिज्य की ही स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हो रही हैं जबकि क्षेत्र के जनजाति छात्र अन्य विषयों में भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

c. जुन्नारदेव महाविद्यालय में स्नाकोत्तर कक्षाओं में एम.ए. हिन्दी, अँग्रेजी, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, एम.एस.सी. गणित, भौतिक, जूलॉजी, बाटनी विषय की कक्षाएँ प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया है।

d. उच्च शिक्षा के लिये विज्ञान एवं गणित विषय की स्नातकोत्तर कक्षाओं का होना अति आवश्यक है।

e. इस संबंध में जन–भावना के अनुरूप जुन्नारदेव महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में उक्त विषय प्रारंभ करने के लिये प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को पत्र लिखा गया है। आयोग स्तर से भी कार्यवाही अपेक्षित है।

14. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार **दमुआ महाविद्यालय** में पहुँचने पर छात्र छात्राओं, उपस्थित शिक्षण कर्मी, महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति अध्यक्ष, श्री कमलेश उइके जिला पंचायत सदस्य, जन जन प्रतिनिधियों तथा छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव तथा छात्र छात्राओं ने औपचारिक स्वागत किया। इस कार्यक्रम में छात्रसंघ द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

A. दमुआ महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ था जो कि आज तक अपूर्ण है। महाविद्यालय का स्टाफ रूम भी आज तक अपूर्ण है।

B. महाविद्यालय भवन की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं, अनेक स्थानों पर पानी का सीपेज है, खिडकी दरवाजों की पुताई न होने की वजह से जंग लग रही है।

C. प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

D. प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन निर्माण का पुनरीक्षित प्रॉक्कलन भी तैयार किया जाना है जो कि निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग संभाग कमांक एक छिन्दवाडा द्वारा अभी तक भेजा नहीं गया है।

E. इस महाविद्यालय भवन का मेन्टेनेन्स भी नहीं हो रहा है।

F. दमुआ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है इसलिये इस महाविद्यालय की उपयोगिता अधिक है। महाविद्यालय भवन सर्व सुविधायुक्त अच्छा होना चाहिए ताकि जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का उपयुक्त वातावरण मिल सके।

G. उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु छात्रसंघ से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को प्रथक से पत्र लिखा गया है। आयोग स्तर से भी कार्यवाही अपेक्षित है।

H. महाविद्यालय की पुताई की भी आवश्यकता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

I. छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं कम्प्यूटर कोर्स की शिक्षा प्रारंभ कराने की मांग की गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

J. महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की आवश्यकता हैं इसमें यह भी समस्या है कि वाणिज्य संकाय स्कूल में भी नहीं है जिसकी वजह से कालेज में वाणिज्य संकाय की आवश्यकता एवं मांग होते हुए भी शिक्षा नहीं हो पा रही है। संबंधित अधिकारियों से आयोग स्तर से पत्राचार किया जाय।

K. अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को आवास भत्ता सहायता / छात्रगृह योजना में इस वर्ष से उत्पन्न हुई समस्या प्रस्तुत की गई।

L. मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–12–06/2013/ 25–2/2039 दिनॉक 11–9–2013 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालयीन शिक्षा निरंतर रखने के लिये आवास सहायता स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजभोगी शहर, जिला एवं विकासखण्ड / तहसील स्तर मुख्यालय पर **कमशः 2000, 1250, 1000** रूपये प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है।

M. इस योजना में केवल उक्त तीनों स्तर पर स्थापित महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को **आवास योजना के अंतर्गत आवास भत्ता** दिया जाता है किन्तु इसमें यह विसंगति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महाविद्यालय स्थापित हैं जैसे जिला छिन्दवाडा में **दमुआ, लोधीखेडा एवं चान्द** महाविद्यालय तहसील / विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थापित नहीं हैं (इस प्रकार के महाविद्यालय प्रदेश में अन्य जिलों में भी हैं) किन्तु ये क्षेत्र आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र हैं और छात्रों के लिये वहॉ महाविद्यालयीन शिक्षा की सुविधा है किन्तु इन महाविद्यालय के छात्रों को आवास भत्ता नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उनकी पढाई प्रभावित हो रही है।

N. सुझाव यह है कि उक्त आदेश में तत्काल आंशिक संशोधन कर राजभोगी शहर, जिला एवं विकासखण्ड / तहसील मुख्यालय के अतिरिक्त सभी स्थानों पर जहॉ महाविद्यालय स्थपित हैं उन स्थानों पर भी आवास सहायता योजना लागू करें ताकि दूरदराज में रहने वाले आदिवासी द्वारा आगे पढ़ाई कर सकें।

O. जनजाति छात्र छात्राओं को मिलने वाले आवास भत्ता की विसंगति के समाधान हेतु मेरे द्वारा पृथक से पत्राचार किया गया है। आयोग स्तर से भी संबंधित विभाग से पत्राचार कर समस्या का समाधन कराया जाय।

P. दमुआ में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खुलवाने का अनुरोध छात्रसंघ द्वारा किया गया जिसके लिये प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एवं जनजाति कल्याण विभाग को लिखा गया है।

(महाविद्यालय दमुआ में छात्र–छात्राओं, शिक्षकीय कर्मचारियों एवं प्रमुख अतिथियों के मध्य सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष)

15. मेरे द्वारा अपने उद्‌बोधन एवं मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं एवं उपस्थित आमजनों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, शक्तियॉ, कार्यप्रणाली, संवैधानिक प्रावधानों इत्यादि की विस्तृत

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक, बौद्धिक विकास के लिये संचालित की जा रही योजनाओं आवास भत्ता, स्कूल फीस, छात्रवृत्ति, विदेश में अध्ययन हेतु सहायता, कौशल विकास की सुविधा, सिविल सेवाओं में चयन के लिये कोचिंग तथा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्राप्त होने वाली सहायता इत्यादि का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करते हुए मार्गदर्शित किया गया।

मेरे द्वारा कहा गया कि भविष्य में क्या करना है इस पर विचार करें और आज से ही अपना लक्ष्य एवं जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें तभी सर्वागींण विकास संभव है। आधुनिक तकनीक यथा कम्प्यूटर इंटरनेट का भी सदुपयोग करें, सभी अपना आधार कार्ड अवश्य बनवाएँ एवं अपने आसपास, ग्राम नगर, शहर की स्वच्छता व व्यक्तिगत सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। अपनी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देकर अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें।

16. महाविद्यालय में टेबिल टेनिस का भी शुभारंभ किया गया। मेरे द्वारा छात्र–छात्राओं से कहा गया कि खेलों से शरीर का सर्वागींण विकास होता है। इसलिये सभी को किसी न किसी खेल कूद अथवा व्यायाम अवश्य करना चाहिए।

(महाविद्यालय दमुआ में छात्र–छात्राएँ एवं उनके द्वारा प्रस्तुत समस्या के समाधान हेतु अधिकारियों से मोबाईल पर चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष)

(महाविद्यालय दमुआ में छात्र–छात्राएँ को मर्गदर्शित करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	17. आदिवासी सामुदायिक भवन, दमुआ में जनजाति प्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सामान्य बैठक ली गई एवं उनसे भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :– A. जन प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि यह सामुदायिक भवन सांसद निधि से निर्मित हुआ है और सभी के लिये हैं किन्तु एक व्यक्ति विशेष द्वारा ताला लगाकर रखा जाता है और चाबी नहीं दी जाती है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि ऐसा नहीं करें और सभी को आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध कराया जाय। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत दमुआ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। B. सामुदायिक भवन में बिजली एवं पानी की समस्या है और चौकीदार नहीं रहता है। इस पर निर्देशित किया गया कि स्थानीय संस्था के माध्यम से इस व्यवस्था को तत्काल ठीक कर लिया जाय और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ग्रमीण जनजाति वर्ग के ठहरने के लिये इसका उपयोग किया जाय। C. सामुदायिक भवन की दीवार एवं नींव क्षतिग्रस्त हो रही है। संबंधित को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका से मिलकर इसकी मरम्मत इत्यादि करा दी जाय ताकि भवन सुरक्षित रहे। D. श्री रमेश पंडोले एवं अन्य ग्रामवासी पुराना दमुआ सेमरकुही एवं डुँगरिया (भरदागढ) ने आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड की कन्हान क्षेत्र द्वारा वर्ष 1976 में उनकी भूमि लीज पर ली गई थी जिसकी लीज वर्ष 2004 में समाप्त हो गई है। राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2004 से 2017 तक का लगान उनसे वसूल किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा लीज समाप्त होने के उपरांत उनकी भूमि वापस नहीं की गई है और न ही मुआवजा दिया गया है। अतएव उनकी भूमि उन्हें वापस दिलाई जाय। आवेदक की अपील पृथक से आयोग में प्रस्तुत की गई है जिसपर आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। E. रामपुर के उपस्थित जनजाति नागरिकों ने अवगत कराया कि दमुआ से रामपुर सड़क निर्माण के लिये रामपुर एवं चिचोली ग्राम की उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था किन्तु आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। मेरे द्वारा इस संबंध में अपनी प्रथम रिपोर्ट में (दिनॉक 19 जनवरी 2017 से 25 जनवरी 2017) कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया था। इस संबंध में संबंधित कलेक्टर छिन्दवाडा समुचित कार्यवाही करें। साथ ही आयोग स्तर से इस संबंध में पत्राचार किया जाय। F. अध्यक्ष, मांझी एकता समिति दमुआ जिला छिन्दवाडा ने ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि विधायक निधि से मांझी एकता समिति को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई है जिसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर छिन्दवाडा को पत्र लिखा गया। G. आवेदिका श्रीमती नरबदी–बिहारी लाल ग्राम आमाढाना वार्ड नंबर 14 जुन्नारदेव जिला छिन्दवाडा का अनुरोध है कि उसकी भूमि ग्राम आमाढाना वार्ड कमांक 14 जुन्नारदेव पटवारी हलका नंबर 91 खसरा नंबर 333/14 रकबा 0.90 है जिस पर वे वर्षो से काबिज हैं किन्तु यह भूमि राजस्व रिकार्ड से गायब है। उसके द्वारा विभिन्न अधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत किया है किन्तु अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। आवेदक ने अपनी भूमि का रिकार्ड दुरूस्त कराने का अनुरोध किया है। आवेदिक अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। प्रकरण आयोग में प्रस्तुत कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। आयोग स्तर से संबंधित अधिकारी द्वारा अनुशरण किया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	18. सामुदायिक भवन में तथा सम्पूर्ण प्रवास के समय जो भी आवेदन अथवा अपील प्राप्त हुई हैं उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया है।	
6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा : **(जिसके साथ मुद्दे पर एन.सी.एस.टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफारिशों का उल्लेख किया जाए।)**	• प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं जनजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल। • प्रमुख सचिव, नगरीय कल्याण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संबंधित कक्ष, संबंधित कक्षों के प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार नई दिल्ली। • कलेक्टर, छिन्दवाडा मध्यप्रदेश। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद दमुआ।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक :—समाचार पत्रों में छपे समाचार की झलकियाँ